कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1792/11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 22 ,2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक के लिए) पर दी गयी 61.2348 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–2515/81–2–2020–911/92, दिनांक 11.01.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज पर दी गयी 61.2348 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण से सम्बन्धित 02 प्रकरण है।

1. **प्रस्ताव सं0–FP/UP/IND/25304/2017,** जोकि मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 61.2348 हे0 आरक्षित वनभूमि **दिनांक 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए** लीज पर दी लीज नवीनीकरण से सम्बन्धित थी। इस अवधि के लीज नवीनीकरण के प्रकरण में उ0प्र0 शासन के पत्रांक–336/81–2–2019–911/92, दिनांक 21.08.2019 द्वारा विज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है। उक्त विज्ञप्ति की शर्त सं0–17 में निम्न उल्लेख किया गया हैः–

   शर्त सं0–17:– *"प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर (प्रीमियम) व प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट पट्टाधारक से लिया जायेगा।"*

   उक्त शर्त सं0–17 के अधिरोपित व्यवस्था से छूट दिये जाने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी के क्रमशः प्रत्यावेदन दिनांक 11.09.2019 एवं 25.10.2019 को अस्वीकार करते हुये उ0प्र0 शासन शासन के पत्रांक–347/81–2–2020–911/92, दि0 19.03.2020 द्वारा विज्ञप्ति के शासनादेश दिनांक 21.08.2019 की प्रत्येक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

   उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 19.03.2020 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपालन कराते हुये शासनादेश दिनांक 21.08.2019 के प्रत्येक शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–591/11–सी–FP/UP/IND/25304/2017, दिनांक 15.09.2020 **(संलग्नक–1)** द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा शर्त सं0–17 का अनुपालन किये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

2. **प्रस्ताव सं0–FP/UP/IND/39403/2019,** जोकि मे0 रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 61.2348 हे0 आरक्षित वनभूमि **दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक के** लीज नवीनीकरण से सम्बन्धित है। इस लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–908/11–सी–FP/UP/IND/39403/2019, दिनांक 05.11.2019 द्वारा उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। इस प्रस्ताव को उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–1492(2)/81–2–2020–911/1992, दिनांक 01.09.2020 को अपलोड कर प्रस्ताव वापस किया गया। टाइमलाइन संलग्न है **(संलग्नक–2)**। शासन के पत्र दिनांक 01.09.2020 एवं अन्य सम्बन्धित पत्रों दिनांक 15.06.2020, दिनांक 20.08.2020, व दिनांक 25.09.2020 द्वारा मॉगी गयी सूचना प्रस्ताव सं0–FP/UP/IND/25304/2017 से सम्बन्धित थी। उक्त पत्र के द्वारा मॉगी सूचना लीज अवधि दिनांक 21.06.2009 से 20.06.2019 तक की लीज डीड सम्पन्न न होने के कारण वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रश्नगत अवधि के प्रारम्भ में देय स्टॉप डयूटी प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर सूचना उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित थी। इसी कारण से उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–1265/11–सी–FP/UP/IND/39403/2019] दिनांक 27.11.2020 द्वारा शासन को प्रेषित करते समय ऑनलाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव सं0–FP/UP/IND/39403/2019) को भी शासन को प्रेषित किया गया।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित सूचना/आख्या संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-93